तारीख हुक्म

21/6/21

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग में/प्रशासनिक अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 15/07/21 को प्रस्तुत करें।

22/06/2021 वकील अपीलान्ट ने एक प्रा० पत्र प्रकरण हाजा में वर्णित खेतों पर आपसी विवाद की स्थिति होने के कारण प्रकरण का फैसला निस्तारण हेतु पत्रावली दा लेकर सुनवाई का निवेदन किया। प्रा० पत्र की प्रति वकील रेस्पोन्डेन्ट को दिलाई गई तथा पत्रावली में सुनवाई तिथी दि. 07/07/2021 वास्ते जवाब/आपत्ति नियत की जाती है। मिसल दिनांक: 07/07/2021 को पेश हो।

Noted

Rafiq.

07/07/2021 वकुलाम उभय। वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अपील का जवाब/आपत्ति पत्र की नकल वकील अपीलान्ट को दिलाई गई। साथ ही फहरिस्त सूची पत्र को प्रा० पत्र मि रहे। पत्रावली वकुलाम की सहमति पर वास्ते बहस नियत की गई। तथा प्रकरण बहस वकुलाम सुनी गई। मिसल वास्ते आदेश दिनांक: 12/07/2021 को पेश हो।

12/07/21: वकुलाम उभय, अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। आदेश मिसल पृथक से लिखा जाता है। पत्रावली अपने स्थान से जमा होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल (नागौर)

पीठासीन अधिकारी – श्री रवीन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

म्यूटेशन अपील सं. – 03/2021

अपीलान्ट –

1. पटवारी, पटवार हल्का लूणसरा, तहसील–जायल जिला–नागौर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट –

1. गणपत पुत्र मुन्नीलाल जाति ब्राहमण, उम्र 39 साल निवासी–लूणसरा तहसील–जायल (नागौर)
2. जगदीश प्रसाद पुत्र भूराराम (फौत)
   2/1. चतुर्भज पुत्र जगदीश प्रसाद
   2/2. ममता पुत्री जगदीश प्रसाद
   2/3. रामगोपाल पुत्र जगदीश प्रसाद
   2/4. लीलादेवी पत्नि जगदीश प्रसाद
   2/5. सरोज पुत्री जगदीश प्रसाद
   जातियान–ब्राहमण, निवासीगण–लूणसरा, तहसील–जायल (नागौर)।
3. ग्राम पंचायत लूणसरा, (सरपंच/सचिव) पंचायत समिति जायल जिला–नागौर (राज.)

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या– 2339 ग्राम पंचायत लूणसरा तहसील जायल

1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से रामप्रसाद बैंदा स्वयं उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2/1 से 2/5 की ओर से श्री मुकेश कुमार बिड़ीयासर उपस्थित।

दिनांक : 12/07/2021

– : : निर्णय : :–

नामान्तकरण अपील का सक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने नामान्तरकरण अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2/1 से 2/5, 3 के ग्राम पंचायत लूणसरा, पंचायत समिति जायल द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2339 को शून्य घोषित किये जाने के संबंध में पेश किया तथा निवेदन किया ग्राम लूणसरा तहसील–जायल के स्व. मुन्नालाल जाति–ब्राहमण के खातेदारी के खेत खसरा नं. 563, 570, 574, 850, 858, 859, 884, वौके लूणसरा में

12/07/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

स्थित है। उपरोक्त खेताय के संबंध में वाद रेस्पोडेन्ट गणपत संख्या 1 द्वारा न्यायालय हाजा में 79/2016 पेश कर उपरोक्त विवादग्रस्त खसरान के मौके तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् स्थगन आदेश 01.08.2016 को प्राप्त किया इसी प्रकार खसरा नं. 573 पर भी स्थगन आदेश दिनांक 08.02.2020 को प्राप्त किया। जिसके पश्चात दिनांक 01.08.2016 को उक्त विवादग्रस्त खसरान की भूमि के संबंध में जमाबंदी इस आशय का नोट लगाने हेतु तहसीलदार (भू-अभिलेख) जायल द्वारा तत्कालीन पटवारी हल्का लूणसरा श्री मेघाराम को तहरीर जारी की गई। परन्तु तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा खतौनी में ऑनलाईन स्थगन दर्ज करवाया था, जिसके पश्चात श्री मेघाराम का भू-अभिलेख निरीक्षक के पद पर पदौन्नती हो गई तथा कार्यभार/चार्ज वर्तमान पटवारी हल्का दिनेश लोमरोड़ को प्राप्त हुआ। जिसके पश्चात् विरासत का नामान्तकरण संख्या 2339 दिनांक 31.12.2020 को भरा गया जो की ऑनलाईन प्रक्रिया में तकनीकी त्रुटी से पूर्व में दर्ज किया गया स्थगन संबंधी नोट दर्ज नहीं होने एवं सहवन से विरासत नामान्तकरण दर्ज हो गया तथा ग्राम पंचायत लूणसरा द्वारा मासिक बैठक दिनांक 06.01.2021 में स्वीकृत हो गया। अपीलाट एवं वर्तमान पटवारी हल्का द्वारा उक्त नामान्तरकरण भूलवशः एवं वर्तमान पटवारी हल्का को विवादग्रस्त खसरान के संबंध में स्थगन आदेश की जानकारी नहीं होने पर भरा गया जो कि गलत है एवं शून्य है अतः उक्त नामान्तकरण संख्या 2339 दिनांक 06.01.2021 को निरस्त किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड की पूर्व की स्थिति बहाल की जाने के आदेश फरमावे।

अपीलान्ट की अपील विरूद्धं रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2/1 से 2/5, 3 के विरूद्ध दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेंदा ने वकालात नामा पेश किया तथा नामान्तकरण अपील के संबंध में जवाब/आपत्ति पेश नहीं करने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2/1 से 2/5 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार बिड़ीयासर ने वकालातनामा तथा

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

जवाब/आपत्ति पेश की। इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का सम्मन स्वयं से तामील सुदा प्राप्त होने पर उपस्थित हुये। नामान्तकरण अपील में उक्त नामान्तकरण संख्या 2339 से संबंधीत मूल बैठक कार्यवाही रजिस्टर उक्त नामान्तकरण अपील में आवश्यकता होने तहरीर जारी कर मूल बैठक कार्यवाही रजिस्टर तलब किया गया, जिसका मूल रिकॉर्ड से मिलान किया गया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2/1 से 2/5 की ओर से प्रस्तुत जवाब आपत्ति में अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अपीलान्ट मौजा लूणसरा का हल्का पटवारी जो स्वयं साबित करे। वकील रेस्पोन्ट ने आगे कथन किया कि प्रकरण में विवादग्रस्त खसरान की भूमि केवल स्व. मुन्नलाल की खातेदारी के नहीं है बल्कि मुन्नालाल केवल सहखातेदार है। उक्त वादग्रस्त भूमि में मुन्नालाल के अलावा जगदीश प्रसाद, बुधाराम, शिवनारायण सहखातेदार थे। विवादग्रस्त खसरान से संबंधीत वाद व प्रार्थना पत्र की रेस्पोडेन्ट को किसी प्रकार की जानकारी नहीं है, क्योंकि उसमें ये लोग पक्षकार नहीं है। विवादित खेताय पर स्थगन था या नहीं, स्थगन आदेश की प्रति अपीलान्ट को भेजी गई अथवा नहीं ? अपीलान्ट साबित करे। इसी प्रकार यदि स्थगन आदेश की तहरीर पटवारी हल्का को भेजी गई तो ऑनलाईन के अलावा पटवारी हल्का लूणसरा के पास भी पेन्सिल नोट लगा होगा जो आवश्यक है। अपीलान्ट द्वारा पटवारी रहते हुये फौतगी नामान्तरकरणकी कार्यवाही पंचायत की मासिक बैठक मे पूर्णतया जांच करके रेस्पोडेन्ट संख्या 2/1 से 2/5 का फौतगी नामान्तकरण स्वीकार किया, पंचायत की बैठक में पटवारी हल्का के साथ सरपंच व पंच मौजूद थे। जब पटवारी हल्का के पस पेन्सिल नोट लगा रखा था, तो फौतगी नामान्तकरण कैसे भरा गया, समझ से परे की बात है, अपीलान्ट/पटवारी हल्का अवमानना की कार्यवाही से बचने के लिए यह नामान्तकरण अपील माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की है इस फौतगी नामान्तरकरण से किसी प्रकार का भूमि अन्तरण नहीं है, न ही किसी अजनबी को कोई हक मिला है। उक्त विवादित खेताय पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2/1 से 2/5 का जन्म से ही हक था, जो ही उन्हे फौतगी नामान्तकरण से मिला है, उससे अधिक नहीं है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

नामान्तकरण के मूल दस्तावेज पर पैन्सिल नोट नहीं लगा होने के कारण उक्त नामान्तरकरण भरा गया है जो सही है।

अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने मिलीभगत कर यह नामान्तरकरण संख्या 2339 खारीज करवाने के लिए अपील पेश की है। इसी प्रकार नामान्तकरण अपील में अपीलान्ट ने एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा मेड़ता सिटी का पक्षकार नहीं बनाया है, जबकि स्व. जगदीश की जमीन पर नामान्तकरण संख्या 2542 से उक्त बैंक का ऋण/रहन दर्ज था, जिसका आदिनांक की खतौनी में अंकन दर्ज नहीं है, इसलिए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की नामान्तरकरण अपील सारहीन, होने से खारिज योग्य है जो खारिज की जावे।

चूंकि उक्त नामान्तरकरण अपील के प्रकरण में समस्त पक्षकारान् की तलबी हो चुकी है, तथा संबंधित ग्राम पंचायत से वांछित मूल रिकॉर्ड प्राप्त होकर मिलान हो चुका है। इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 2/1 से 2/5 की ओर से जवाब/आपत्तियां भी प्राप्त हो चुकी है अर्थात आवश्यक कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। वकुलाय के निवेदन तथा सहमति पर प्रकरण बहस नियत किया गया।

दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट, ने अपील के तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया कि ग्राम–लूणसरा तहसील–जायल के स्व. मुन्नालाल जाति–ब्राहमण के खातेदारी के खेत खसरा नं. 563, 570, 573, 574, 850, 858, 859, 884, वौके लूणसरा में स्थित है, जिनके संबंध में वाद रेस्पोडेन्ट गणपत संख्या 1 द्वारा 79/2016 पेश कर उपरोक्त विवादग्रस्त खसरान के मौके तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् स्थगन आदेश 01.08.2016 को तथा खसरा नं. 573 पर स्थगन आदेश दिनांक 08.02.2020 को प्राप्त किया। दिनांक 01.08.2016 को उक्त विवादग्रस्त खसरान की भूमि के संबंध में जमाबंदी इस आशय का नोट लगाने हेतु तहसीलदार (भू–अभिलेख) जायल द्वारा तत्कालीन पटवारी हल्का लूणसरा श्री मेघाराम को

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

तहरीर जारी की गई। तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा खतौनी में ऑनलाईन स्थगन दर्ज करवाया जिसके पश्चात श्री मेघाराम का भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर पदौन्नती हो गई तथा कार्यभार/चार्ज वर्तमान पटवारी हल्का दिनेश लोमरोड़ अर्थात अपीलान्ट को प्राप्त हुआ। अपीलान्ट ने स्व. जगदीश प्रसाद का विरासत का नामान्तकरण संख्या 2339 दिनांक 31.12.2020 को ऑनलाईन प्रक्रिया में तकनीकी त्रुटी से पूर्व में दर्ज किया गया स्थगन संबंधी नोट दर्ज नहीं होने एवं सहवन से दर्ज हो गया तथा ग्राम पंचायत लूणसरा द्वारा मासिक बैठक दिनांक 06.01.2021 में स्वीकृत भी हो गया। अपीलाट एवं वर्तमान पटवारी हल्का द्वारा उक्त नामान्तरकरण भूलवशः एवं वर्तमान पटवारी हल्का को विवादग्रस्त खसरान के संबंध में स्थगन्न आदेश की जानकारी नहीं होने पर भरा गया जो कि गलत है एवं शून्य है। अतः उक्त नामान्तकरण संख्या 2339 दिनांक 06.01.2021 को निरस्त किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड की पूर्व की स्थिति बहाल की जाने के आदेश फरमावे इस हेतु अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने भी नामान्तकरण संख्या 2339 को निरस्त करने में सहमति व्यक्त की।

दौराने बहस रेस्पोडेन्ट संख्या 2/1 से 2/5 ने अपीलान्ट तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों का खण्डन करते हुये जवाब आपत्ति में किये गये अभिकथन का दोहरान करते हुये निवेदन किया विवादग्रस्त खेताय के संबंध में न्यायालय हाजा द्वारा स्थगन आदेश पारित किये गये थे तो उसकी पालना के लिए तहरीर पटवारी हल्का को भेजी गई होगी जिसका अंकन ऑनलाईन के अलावा पटवारी हल्का लूणसरा के पास भी पेन्सिल नोट लगाया जाना भी आवश्यक्र होता है। इसी प्रकार अपीलान्ट द्वारा पटवारी रहते हुये फौतगी नामान्तरकरणकी कार्यवाही पंचायत की मासिक बैठक मे पूर्णतया जांच करके रेस्पोडेन्ट संख्या 2/1 से 2/5 का फौतगी नामान्तकरण स्वीकार किया, पंचायत की बैठक में पटवारी हल्का के साथ सरपंच व पंच मौजूद थे। जब पटवारी हल्का के पास खतौनी में पेन्सिल नोट लगा रखा था, तो फौतगी नामान्तकरण कैसे भरा गया। अपीलान्ट/पटवारी हल्का द्वारा केवल अवमानना की कार्यवाही से बचने के लिए यह नामान्तकरण

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

अपील माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की है। इस फौतगी नामान्तरकरण से किसी प्रकार का भूमि अन्तरण नहीं हो रहा है, न ही किसी अजनबी को कोई हक मिला है, उक्त विवादित खेताय पर की भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2/1 से 2/5 का जन्म से ही हक था, जो ही उन्हे फौतगी नामान्तकरण से मिला है। तथा उक्त नामान्तरकरण भरा गया है जो सही है।

अपीलान्ट एवं रेसपोडेन्ट संख्या 1 ने मिलीभगत कर यह नामान्तरकरण संख्या 2339 खारीज करवाने के लिए अपील पेश की है। इसी प्रकार नामान्तकरण अपील में अपीलान्ट ने एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा मेड़ता सिटी का पक्षकार नहीं बनाया है, जबकि स्व. जगदीश की जमीन पर नामान्तकरण संख्या 2542 से उक्त बैंक का ऋण/रहन दर्ज था, जिसका आदिनांक की खतौनी में अंकन दर्ज नहीं है, इसलिए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की नामान्तरकरण अपील सारहीन, होने से खारिज योग्य है।

वकील अपीलान्ट ने अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2/1 से 2/5 द्वारा दलीलों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण अपील नामान्तरकरण संख्या 2339 दिनांक 31.12.2020 प्रक्रियागत खामी व डी.आई.एल.आर.एम.पी. कार्यक्रम के तौर पर राजस्व नक्शे व रिकॉर्ड का अपडेशन नहीं होने तथा तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा स्थगन आदेश का नोट जमाबंदी में तथा ऑनलाईन नहीं होने से उक्त नामान्तकरण की कार्यवाही हुई है जानबूझकर स्थगन आदेश के बावजूद नामान्तकरण नहीं भरा गया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 2339 दिनांक 31.12.2020 निरस्त फरमावे तथा दिनांक 01.08.2016 की स्थिति बहाल रखने के आदेश फरमावे।

बहस वकुलाय, दस्तावेज रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया जिससे पर मनन किया। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि तत्कालीन पटवारी हल्का लूणसरा श्री मेघाराम द्वारा उक्त विवादग्रस्त खसरान की भूमि पर न्यायालय हाजा में विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 183/2016, राजस्व प्रार्थना पत्र

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

संख्या 79/2016 अनुवान गणपत बनाम जगदीश में दिनांक 01/08/2016 को उपरोक्त विवादग्रस्त खसरा नं. 563, 570, 573, 574, 850, 858, 859, 884, के राजस्व रिकॉर्ड, की यथास्थिति बनाये रखने के लिए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश पारित किये गये है। इसी प्रकार प्रकरण में वकील अपीलान्ट द्वारा दी गई दलीलों व राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में डी.आई.एल.एम.आर.एम.पी.कार्यक्रम के तहत राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाईन अपडेट करते समय जमाबंदी/खतौनी में तत्कालीन हल्का पटवारी श्री मेघाराम द्वारा स्थगन आदेश का नोट लगाये जाने के बावजूद तकनीकी त्रृटी व सहवन से नोट का अंकन नहीं होने तथा तत्पश्चात् श्री मेघाराम का भू.अ. निरीक्षक के पद पर पदौन्नत हो जाने के उपरान्त पटवार हल्का लूणसरा का चार्ज अपीलान्ट/पटवारी हल्का लूणसरा को दिये जाने पर ग्राम लूणसरा तहसील जायल के खसरा नं. 563, 570, 573, 574, 850, 858, 859, 884, में दर्ज खातेदार स्व. जगदीश प्रसाद की मृत्यु होने पर फौतगी नामान्तकरण दर्ज करते समय विवादग्रस्त खसरान की भूमि पर किसी प्रकार का स्थगन आदेश का नोट जमाबंदी में नहीं पाये जाने के उपरान्त ग्राम पंचायत लूणसरा द्वारा उक्त नामान्तकरण मासिक बैठक में स्वीकृत कर दिया गया है।

न्यायालय हाजा द्वारा इस न्यायालय में विचाराधीन राजस्व प्रार्थना संख्या 79/2016 में वर्णित खसरान पर दिनांक 01.08.2016 को स्थगन आदेश पारित किये जाने की जानकारी अपीलांट व पटवारी हल्का को होने पर नामान्तकरण के प्रक्रियाधीन रहते ही न्यायालय आदेश की अवमानना (कन्टेम्पट की कार्यवाही) की कार्यवाही से बचने के लिए अपील प्रस्तुत कर दी गई। अपीलान्ट द्वारा नामान्तकरण संख्या 2339 भरकर ग्राम पंचायत बैठक में प्रस्तुत तथा ग्राम पंचायत लूणसरा द्वारा विवादग्रस्त खसरान पर स्थगन आदेश होने की जानकारी नहीं होने भूलवशः/सहवन से दर्ज/स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति का स्थगन आदेश होने के कारण विधि विरूद्ध है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

यत् नामान्तकरण अपील में वर्णित खसरा नं. 563, 570, 573, 574, 850, 858, 859, 884 पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 01.08.2016 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के उपरान्त भी अपीलार्थी द्वारा नामान्तरकरण अपील संख्या 2339 दिनांक 31.12.2020तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा अन्तरिम स्थगन आदेश का "नोट" डीएलआईआरएमपी कार्यक्रम के चलते ऑनलाईन जमाबंदी में नोट दर्ज किये जाने उपरान्त भी तकनीकी खामी के चलते अंकन नहीं हो पाने पर सहवन/भूलवशः अपीलार्थी/पटवारी हल्का द्वारा फौतंगी नामान्तकरण दर्ज किया गया प्रतीत होता है, जो कि विधि/नियम विरूद्ध है। इसलिए हम उक्त नामान्तरकरण संख्या 2339 दिनांक 31.12.2020 निरस्त किया जाना तथा विवादग्रस्त खसरान की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की दिनांक 01.08.2016 की स्थिति बहाल रखने के आदेश पारित किये जाना न्यायसंगत एवं उचित समझते है।

– : : आदेश : :–

यत् अपील अपालार्थी अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1955 विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 2339 दिनांक 31.12.2020 ग्राम पंचायत लूणसरा स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत लूणसरा पंचायत समिति मुण्डवा द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 2339 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम–लूणसरा तहसील–जायल के खसरा नं. 563, 570, 573, 574, 850, 858, 859, 884 पर न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 79/2016 अनुवान गणपत बनाम जगदीश वगैरह में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 01.08.2016 की स्थिति बहाल की कार्यवाही सुनिश्चि करे।

यह आदेश आज दिनांक 12/07/2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय सुनाया गया।

12/07/2021
(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), जायल

Scanned with CamScanner